हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं–I)
अधिसूचना
दिनांक 3 अक्तूबर 1996

सं० सा० का० नि० 83/संवि०/अनु० 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं, अधिसूचना संख्या 523–3जी० एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य सेवाएं अधिसूचना सं० 523–3जी० एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में पैरा 2 में,—

(i) उप पैरा (1) में, "2260" तथा "2000" अंकों के स्थान पर, "7500" तथा "5000" अंक रखे जाएंगे, तथा

(ii) उप पैरा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1क) अध्यक्ष/सदस्य जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है, चण्डीगढ़ या पंचकूला में 5000 रुपए प्रति मास की दर पर अथवा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो, गैर सरकारी आवास का किराया अनुज्ञात किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि इस आवास के लिए उसके किराए के रूप में वेतन 10 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।"

एम० सी० गुप्ता,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES I)

Notification

The 3rd October, 1996

No. G.S.R. 83/Const./Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department, General Services, Notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely :—

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department, General Services Notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, in paragraph 2,—

(i) in sub paragraph (I), for the figures "2250" and "2000", the figures "7500" and "5000" shall respectively be substituted ; and

(ii) for sub-paragraph (1A), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1A) The Chairman/Members, who are not provided with Government accommodation, shall be allowed to hire private accommodation at Panchkula or Chandigarh at the rate of Rs. 5000 per month or the actual rent paid, whichever is less, subject to the condition that 10% of pay will be charged as rent from them for this accommodation."

M. C. GUPTA,
Chief Secretary to Government, Haryana.

(Authorised English Translation)